23/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी न्यायालय मे हाजिर नहीं होने पर आवेदन 212 RTI को अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़